न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 57/2019

रामचन्द्र पुत्र सीताराम जाति अहिर निवासी ढाणी गैसकान तन भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 18/9/2019 तहसीलदार विराटनगर ब उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र मु.नं. 49/2019 बाबत ख.नं. 1126/0.01 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 16.3.21

तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 बाबत आराजी ख.नं. 1126/0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर से व्यथित होकर जरिये वकील अपील पेश की गयी है जिसमें वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार पेश हैं :–

1. यह है कि पटवारी द्वारा आराजी ख.नं. 1126 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर अवैध कब्जा की रिपोर्ट विराटनगर को प्रस्तुत की गयी जिस पर अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया जिस कारण अपीलान्ट ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण में कोई जानकारी नहीं हुयी तथा दिनांक 18/9/2019 को प्रार्थी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर दी गयी। इसके उपरान्त दिनांक 18/9/2019 को अपीलान्ट की अनुपस्थिती में गलत तथ्यों पर अपीलान्ट के विरूद्व तहसीलदार विराटनगर ने एक आदेश पारित कर दिया तथा प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर भी नहीं दिया गया तथा आदेश दिया कि प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने व सरह लगान 0.04 के पचास गुना राशि 2=00/– रू. जुर्माना से दण्डित करने का आदेश प्रदान किया गया जिसके विरूद्व उक्त अपील पेश की गयी है।
2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्वान्तों के विपरीत होने से एवं विधि विरूद्व तथा पत्रावलियों के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया, बिंना सुनवायी किये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। उक्त पारित किया गया निर्णय मनतथ्यों एवं कयास के आधारों पर आधारित होने से निरस्तनीय है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है तथा अपीलान्ट के विरूद्व एक तरफा निर्णय गलत पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून एवं न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से निरस्तनीय है।
5. यह है कि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर बुजुर्गान के समय से यानि सैकडों सालों से काबिज है तथा पक्के मकान बना रखे हैं तथा परिवार सहित निवास कर रहे हैं। उपरोक्त जमीन आबादी की जमीन है तथा आस–पास काफी मकान बने हुये हैं जबकि पटवारी हल्का ने मौके की गलत रिपोर्ट अंकित कर गैर.मु. पहाड की भूमि बताकर कच्ची झोपडी व तार बंदी कर अतिक्रमण बताया है। इसलिए आदेश 18/9/2019 निरस्तनीय है ।
6. यह है कि अपीलान्ट का पुराना कब्जा है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया। अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से धारा 91 की कार्यवाही सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय अनुसार नहीं की जा सकती है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 जैर अपील निरस्तनीय है।
7. यह है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के सद्भावना पूर्वक कब्जे के तथ्य के विवाद पर भी गौर नहीं किया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार धारा 91 लैण्ड रैवन्यु एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती। माननीय अधिनस्थ न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने में अहम कानूनी गलती की है। इसलिए निर्णय 18/9/2019 निरस्तनीय है।
8. यह है कि धारा 91 राजस्थान लैण्ड रैवन्यु एक्ट के तहत् भूमि से बेदखल नहीं कर सकते तथा धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत् बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्वान्त की अधिनस्थ न्यायालय ने पालना नहीं की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 निरस्तनीय है।
9. यह है कि ग्राम भाबरू ने कोरम की मिटिंग में दिनांक 11/01/2019 को उपरोक्त खसरा नम्बर 1126 बाबत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को लिखा कि यह जमीन को आबादी में कनवर्ट की जावें। चारों तरफ आबादी बसी हुयी है। इससे भी बखूबी साबित है कि यह भूमि आबादी की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 निरस्तनीय है।
10. यह है कि पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की है। मौके पर जाकर पटवारी हल्का ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है एवं सीमाज्ञान भी नहीं किया है ना ही मौके की नपत की है। पटवारी हल्का द्वारा इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुयी । इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 18/9/2019 जैर अपील निरस्तनीय है।
11. यह है कि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया ना ही मौके पर उसने भूमि का नाप जोख किया ना ही सीमाज्ञान कराया मात्र कयास के आधार पर कार्यालय में बैठकर झुठी रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार

पर विश्वास करके अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना सुने कानूनी गलती की है। इसलिए आदेश निरस्तनीय है।

12. यह है कि पटवारी की रिपोर्ट मौके की स्थिती के विपरीत है। प्रार्थी ने अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

13. यह है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना ही वह करेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी के गैर कानूनी बयान को आधार बनाकर निर्णय देने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए भी आदेश निरस्तनीय है।

14. यह है कि अपील श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है, जो अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 18/9/2019 द्वारा तहसीलदार विराटनगर ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र मु.नं. 49/2019 बाबत ख.नं. 1126/0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

15. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी । रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया बाद सूचना के रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये।

16. बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार विराटनगर द्वारा ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में पारित आदेश 18/9/2019 के द्वारा ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर कब्जा होना बताकर प्रार्थी/अपीलान्ट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुना जुर्माना वसूल करने बाबत निर्णय पारित किया गया है जबकि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा बुजुर्गो के समय से सैकडों सालों से पक्के मकान बनाकर परिवार सहित आबादी भूमि पर निवास कर रहा है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट तैयार कर बिना मौके की जांच किए गै.मु. पहाड की भूमि बताकर अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर कब्जा कर अतिक्रमण बताया है। पटवारी हल्का की उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है, जबकि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया ना ही उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराया तथा ना ही कभी उक्त भूमि की नाप जोख की गयी मात्र कार्यालय बैठकर कयास के आधार पर उक्त रिपोर्ट तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट का विश्वास कर निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट सैकडों वर्षो से बुजुर्गान के समय से काबिज रहकर परिवार सहित निवास कर रहे है तथा अपीलान्ट का पुराना कब्जा है। चारों तरफ आबादी बसी हुयी है। उक्त भूमि आबादी की भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही की गयी है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

विपरीत है। ग्राम पंचायत भाबरू ने कोरम की मिटिंग में दिनांक 21/01/2019 को उपरोक्त ख.नं. 1126 को आबादी भूमि में कनवर्ट करने बाबत प्रस्ताव लिया जाकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने हेतु निर्णय लिया गया है। इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा तहसीलदार विराटनगर द्वारा पारित आदेश 18/9/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र मु.नं. 49/2019 बाबत ख.नं. 1126/0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड वाके मौजा भाबरू तहसील विराटनगर (जयपुर) को निरस्त फरमाया जावें।

17. बहस पैरोकार सरकार विराटनगर सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का भाबरू की रिपोर्ट मुताबिक सम्वत 2076 में ग्राम भाबरू के आराजी ख.नं. 1126 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड पर कच्ची झोपडी व काटों की बाड लगाकर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 49/2019 ब उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र में एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही गैर सायल के विरूद्व अमल में लायी जाकर आ.खं. 1126 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. पहाड पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर अवैध अतिक्रमण को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुना जुर्माना वसूल करने बाबत नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को खारिज फरमावें।

18. वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व सबूतों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रकरण धारा 91 के अन्तर्गत गै.मु. पहाड (सरकारी भूमि) की भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अपीलान्ट काफी वर्षो से मकान बनाकर आबादी भूमि में रह रहा है तथा आबादी प्रस्ताव विचाराधीन है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व गलत रिपोर्ट तैयार कर बिना सूचित किये ग्राम भाबरू के ख.नं. 1126 किस्म गै.मु. पहाड की भूमि में कच्ची झोपडी व काटों की बाड लगाकर अतिक्रमण कर कब्जा होना बताया है, जबकि अपीलान्ट अपने बुजुर्गों के समय से आबादी भूमि में निवास कर रहा है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व प्रस्तुत की गयी गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा निर्णय पारित कर अपीलान्ट/प्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना वसूल करने के आदेश बिना सुनवायी कर आदेश पारित किये है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। ग्राम पंचायत भाबरू द्वारा कोरम की मिटिंग में उक्त भूमि बाबत आबादी भूमि कनवर्ट कराने का प्रस्ताव लिया जाकर उच्च अधिकारियों को भिजवाने का निर्णय भी लिया गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व पारित लिया गया निर्णय खारिज फरमावें तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमावें।

चूंकि प्रकरण सरकारी भूमि पर नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित है। पत्रावली के अवलोकन करने से अपीलान्ट द्वारा ग्राम भाबरू के आराजी खसरा नम्बर 1126 किस्म गै.मु. पहाड पर कच्ची झोपडी व कांटों की बाड लगाकर अतिक्रमण करना पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय विराटनगर द्वारा उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक

18/9/2019 निर्णय पारित कर अतिकमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा लगान के पचास गुना पैलन्टी के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात् आदि पेश नहीं किये जिससे उक्त भूमि पर उसका अतिकमण नहीं हो इसलिए अपीलान्ट का उक्त ख.नं. 1126 किस्म गै.मु. पहाड पर आज भी अवैध कब्जा कर अतिकमण बरकरार है। इसलिये अपीलान्ट को अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील चलने योग्य नहीं है तथा उक्त अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विराटनगर द्वारा मु.नं. 49/2019 व उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र बाबत खसरा नम्बर 1126 किस्म गै.मु. पहाड वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर में पारित किया गया निर्णय यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

20. निर्णय आज दिनांक 16.3.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)